बिहार पुलिस मुख्यालय
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)
आदेश

पी0–6 / 7–2 / 1–07–2024 / 56 पटना, दिनांक– 30.12.2024

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0–19300 / सा0प्र0, दिनांक–13.10.2023 द्वारा अधिसूचित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के आलोक में बिहार पुलिस मुख्यालय में दिनांक–18.12.2023 को सम्पन्न केन्द्रीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक में बिहार पुलिस के अन्तर्गत सिपाही की कोटि से उच्चतर कोटि का प्रभार(वेतनमान सहित) दिये जाने की अनुशंसा समिति द्वारा की गयी कि यदि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा Level Jumping संबंधी प्रावधान विस्तारित किया जाता है तो बिहार पुलिस में दिनांक–31.12.1999 तक नियुक्त पी0टी0सी0 सिपाही, जो दिनांक–31.12.1999 के पूर्व मैट्रिक / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण है, को Level Jumping का लाभ देते हुए पु0अ0नि0 की कोटि का कार्यकारी प्रभार(वेतनमान सहित) दिया जायेगा।

02. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0–636, दिनांक–10.01.2024 द्वारा Level Jumping की समय–सीमा दिनांक–12.02.2024 तक विस्तारित किया गया। जिसके आलोक में पुलिस मुख्यालय के आदेश ज्ञापांक–106 / पी0–2, दिनांक–08.02.2024 द्वारा दिनांक–31.12.1999 के पूर्व नियुक्त एवं मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण पी0टी0सी0 सिपाहीयों को Level Jumping का लाभ देते हुए पु0अ0नि0 की कोटि में उसके विहित वेतनमान(वेतन स्तर–6), सहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया गया है।

03. पटना जिलाबल की पी0टी0सी0 / 8383 तारा रानी की क्षेत्रीय चयन पर्षद् की मनोनयन / अनुशंसा सूची में मूल कोटि में नियुक्ति की तिथि–01.09.09 और 31.05.99 जो CWJC सं0–12243 / 99 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में चम्पारण क्षेत्रादेश सं0–89 / 15 के द्वारा इन्हें वरीयता का लाभ 31.05.99 से दिया गया है, अंकित था जिसे पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना का पत्रांक–113292 / 2024, दिनांक–15.02.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त क्षेत्रादेश के द्वारा स0अ0नि0 तारा रानी को वरीयता का लाभ प्रदान करते हुये नियुक्ति की तिथि दिनांक–31.05.99 की गई है तथा ये वर्ष–1991 में मैट्रिक उत्तीर्ण है।

04. पुलिस मुख्यालय के आदेश सं0–106 / पी0–2, दिनांक–08.02.2024 की कंडिका–6 में अंकित है कि सरकारी सेवक को कार्यकारी प्रभार प्रदान करने के निमित्त आवश्यक अर्हता को प्रभावित करने संबंधी किसी प्रकार की त्रुटि भविष्य में पाये जाने पर बिहार पुलिस मुख्यालय इस आदेश को यथा आवश्यकतानुसार संशोधित / रद्द करने हेतु स्वतंत्र होगा।

05. **उपर्युक्त तथ्यों पर समयक् विचारोपरांत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0–19300, दिनांक–13.10.2023 एवं अधिसूचना सं0–636, दिनांक–10.01.2024 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार पुलिस में कार्यरत पटना जिलाबल के पी0टी0सी0 / 8383 तारा रानी (सम्प्रति स0अ0नि0 का कार्यकारी उच्चतर प्रभार प्राप्त) को पु0अ0नि0 में उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर–6) सहित, दिनांक–08.02.2024 के प्रभाव से अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है।**

06. पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

07. पुलिस मुख्यालय का आदेश ज्ञापांक–1231 / पी0–2, दिनांक–20.12.2023 के द्वारा योग्य पी0टी0सी0 को सहायक पुलिस अवर निरीक्षक की कोटि में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार(वेतनमान सहित) दिया गया है।

08. यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0–19300 / सा0प्र0, दिनांक–13.10.2023 एवं अधिसूचना सं0–636, दिनांक–10.01.2024 में निहित शर्तो के अध्याधीन है।

09. संबंधित कार्यालय प्रधान कार्यकारी प्रभार(वेतनमान सहित) से आच्छादित उक्त पदाधिकारी से इस आशय का न्यायिक शपथ–पत्र प्राप्त करेंगे कि उनके विरूद्ध किसी प्रकार का विभागीय कार्यवाही संचालित / लंबित नहीं है एवं कोई दंडादेश प्रभावी नहीं है तथा निगरानी / आपराधिक / फौजदारी अथवा अन्य न्यायिक वाद भी लंबित नहीं है। इस शपथ–पत्र के उपरांत ही संबंधित कार्यालय प्रधान कार्यकारी प्रभार संबंधी इस आदेश का कियान्वयन करेंगे।

10. कार्यकारी प्रभार से आच्छादित पदाधिकारी के विरूद्ध यदि कोई विभागीय कार्यवाही लंबित हो, निलंबन हो अथवा सजा के प्रभाव में हो या उनके विरूद्ध निगरानी / फौजदारी / आपराधिक मामला विचाराधीन हो तो उस स्थिति में यह कार्यकारी प्रभार देय नहीं होगा।

11. सेवक को कार्यकारी प्रभार प्रदान करने के निमित्त आवश्यक अर्हता को प्रभावित करने संबंधी किसी प्रकार की त्रुटि भविष्य में पाये जाने पर बिहार पुलिस मुख्यालय इस आदेश को यथा आवश्यकतानुसार संशोधित / रद्द करने हेतु स्वतंत्र होगा।

12. इस आदेश से आच्छादित पदाधिकारी अगले आदेश तक अपने वर्तमान पदस्थापन वाला जिला / इकाई में कार्यरत रहेंगे।

13. यदि उक्त सूचना में किसी प्रकार की त्रुटि प्रकाश में आती हो तो संबंधित क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप–महानिरीक्षक / इकाई प्रमुख क्षेत्रादेश रोककर 07 दिनों के अंदर पुलिस मुख्यालय को सूचित करेंगे।

14. इस पर पुलिस महानिदेशक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

30/12/24

पुलिस उप–महानिरीक्षक(कार्मिक)
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–पी0–6 / 7–2 / 1–07–2024 **पटना, दिनांक–30.12.2024**

प्रतिलिपि :–

01. सभी महानिदेशक / अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार, को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।
02. अध्यक्ष, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग / केन्द्रीय चयन पर्षद(सिपाही भर्ती) सचिव, मानवाधिकार आयोग / लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।
03. सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप–महानिरीक्षक(रेल / इकाई सहित), बिहार, को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।
04. पुलिस उप–महानिरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो / पुलिस अधीक्षक, विशेष निगरानी इकाई, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।
05. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक(रेल / इकाई सहित), बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।
06. सभी प्राचार्य, पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।
07. प्रभारी, बिहार पुलिस परिवहन मुख्यालय / रक्षित पदाधिकारी, बिहार पुलिस मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।
08. पुलिस उपाधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना को यह आदेश बिहार पुलिस के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
09. आई0टी0 प्रबंधक, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।

30/12/24

पुलिस उप–महानिरीक्षक(कार्मिक)
बिहार, पटना।